बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2007 का अधिनियम संख्यांक 4)

[29 दिसम्बर, 2006]

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम। 2006 है।
- 2. बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 4 के परन्तुक में, ''मानव 2006 के अधिनियम संसाधन विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री'' शब्दों के स्थान पर ''महिला और बाल विकास मंत्रालय या 4 की धारा 4 का संशोधन।